न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ
श्री सानुज कुलश्रेष्ठ, सदस्य

प्रकरण संख्या – अपील/3129/2006/एलआर/श्रीगंगानगर

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर,
जिला श्रीगंगानगर

....अपीलार्थी

बनाम

1. भागीरथ पुत्र रामलाल जाति विश्नोई
2. शंकरलाल पुत्र रामूराम जाति विश्नोई
   निवासी ग्राम डाबला तहसील रायसिंहनगर श्रीगंगानगर ....प्रत्यर्थी

उपस्थित :

श्री शिशिर विजयवर्गीय, उप–राजकीय अधिवक्ता
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक प्रत्यर्थी

दिनांक : 01/04/2026

निर्णय

(i) अपील का आधार :–

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 191/2004 बउनवानी भागीरथ बनाम शंकरलाल व राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 22.02.2006 के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गयी है।

(ii) प्रकरण के तथ्य :–

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या–1 भागीरथ पुत्र रामलाल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि उसने दिनांक 28.07.1984 को प्रस्तुत आवेदन में अपने एवं अपने पिता के नाम पूर्व से धारित भूमि को छिपाकर चक 3 एमएसडी में लगभग 47 बीघा भूमि का आवंटन प्राप्त कर लिया। इस संबंध में शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच की गई तथा तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 21.07.1988 में यह पाया गया कि भागीरथ एवं उसके पिता के नाम पर्याप्त भूमि पूर्व से दर्ज थी, जिसे आवेदन में प्रकट नहीं किया गया। उक्त तथ्यों के आधार पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 19.01.2004 द्वारा विवादित भूमि का आवंटन निरस्त करते हुए भूमि को राज्य सरकार में पुनः निहित

(रिज्यूम) करने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के विरुद्ध प्रत्यर्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसे स्वीकार करते हुए दिनांक 22.02.2006 को अतिरिक्त कलेक्टर का आदेश निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर राज्य सरकार द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

(III) पक्षकारों के तर्क व बहस :–

1. राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रत्यर्थी (भागीरथ) ने अपने आवेदन में महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाकर, विशेष रूप से अपने एवं अपने पिता के नाम दर्ज पूर्व भूमि का उल्लेख नहीं करते हुए जमीन का आवंटन करवाया गया है। यह भी तर्क दिया गया कि तहसीलदार, रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 21.07.1988 से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के नाम एवं उसके पिता के नाम कुल लगभग 43 बीघा से अधिक भूमि पूर्व से विद्यमान थी, जिसमें नहरी एवं बारानी भूमि सम्मिलित थी। कथन किया कि यदि उक्त भूमि को आवेदन में दर्शाया जाता, तो प्रत्यर्थी को नियमानुसार आवंटन का पात्र नहीं माना जाता तथा उसे भूमि आवंटित नहीं की जाती। अधीनस्थ न्यायालय (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) द्वारा पारित आदेश तथ्यों एवं साक्ष्यों पर आधारित था, किन्तु विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा उक्त तथ्यों का समुचित विश्लेषण किए बिना आदेश निरस्त कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध है। प्रत्यर्थी भागीरथ द्वारा परिवार के सदस्यों की भूमि को छिपाकर अपने नाम आवंटन प्राप्त करना धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है, अतः आवंटन निरस्तीकरण पूर्णतः विधिसम्मत था। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

2. प्रत्यर्थी (भागीरथ) की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि उसे दिनांक 23.02.1985 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थे, जो उस समय लागू प्रावधानों के अनुरूप थे। आवंटन के समय उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर ही अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा उनके द्वारा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। कथन किया कि उसकी कुल भूमि, उसके हिस्से सहित, सीलिंग सीमा से कम थी, अतः वह भूमि आवंटन हेतु पात्र था। विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अभिलेखों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी (राज्य) द्वारा भूमि की गणना त्रुटिपूर्ण तरीके से की गई थी। राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 11/14 के प्रावधान इस प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रदान करने के मामलों में लागू नहीं होते हैं। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी के अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

(VI) न्यायालय का विश्लेषण एवं निष्कर्षण :–

1. हस्तगत अपील भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई है। सुविधा के लिए धारा 76 निम्नानुसार है –

> **76. Second Appeals** – An appeal shall lie from an order passed in appeal -
>
> (a) by a Collector in matters not connected with settlement or land records, - to the revenue appellate authority, or
>
> (b) by a Settlement Officer acting under Section 181, to the Settlement Commissioner, or
>
> (c) by a Land Records Officer – to the Director of Land Records, or
>
> (d) by the Commissioner or the revenue appellate authority or the Settlement Commissioner to the Board.

उक्तानुसार भू–राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत राजस्व मण्डल को द्वितीय अपील की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए यह आवश्यक है कि प्रकरण में समग्रता से गुणावगुण पर निष्कर्षण किया जाए। इस संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्यायनिर्णय Inder Singh vs. State of MP [2025 INSC382] आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है –

> "We are of opinion that the second appeal deserves to heard, contested and decided on merits..."

अतः उपरोक्त सुप्रतिपादित विधिक प्रावधानों के आलोक में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण का गुणावगुण पर निम्नानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

2. उपरोक्तानुसार वर्णित विधिक सिद्धान्तों एवं न्यायनिर्णयों के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को देखा जाये तो प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि के आवंटन को निरस्त किये जाने के संदर्भ में यह प्रकरण लम्बित है। प्रार्थी भागीरथ को हुए आवंटन के संदर्भ में शंकरलाल द्वारा एक शिकायत सहायक उपनिवेशन आयुक्त, रायसिंहनगर, सूरतगढ़ को इस आशय की पेश की गई थी कि प्रार्थी द्वारा चक 3 एम.एस.डी. के मु.नं. 151/331 में 22 बीघा तथा मु.नं. 151/332 में 25 बीघा भूमि कमाण्ड व अ.कमाण्ड है। इस प्रकार कुल 49 बीघा भूमि गलत रूप से आवंटित करवाई गई है। उसके स्वयं के पास चक 6 NP में मु.नं. 52 में 6 बीघा तथा मु.नं. 27 में 12 बीघा कुल 18 बीघा भूमि खातेदारी रकबा है। प्रार्थी के पिता श्री रामलाल के पास चक 6 NP मु. नं. 175/88 में 10 बीघा, 230/85 में 5 बीघा, मु.नं. 99 में 23.5 बीघा, मु.नं. 9 में 6.5 बीघा कुल 46 बीघा भूमि नहरी व बारानी है। उक्त तथ्य को छिपाकर आवंटन करवाया है। इस प्रार्थना–पत्र पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर, गंगानगर का आदेश दिनांक 19.01.2004 पारित हुआ, जिसमें उक्त तथ्यों को सही मानते हुए यह अंकन किया गया कि –

''उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित है कि अप्रार्थी भागीरथ पुत्र राम लाल विश्नोई सा0 भागसर डाबला तहसील रायसिंहनगर द्वारा विवादित रकबा चक 3 एम एस डी का मु0न0 151/332 की 24–00 बीघा व मु0नं0 151/331 की 24–00 बीघा का आवंटन अपने स्वयं के नाम परिवार के सदस्यों के नाम व पिता के नाम पूर्व मे भूमि होने का तथ्य छुपाकर आवंटन करवाया गया है। जो धारा 11/14 कोलो0 एक्ट के तहत काबिल खारजी है। अतः सहायक जिलाधीश एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ़ के आदेश क्रमांक 530 दिनांक 23–2–85 द्वारा अप्रार्थी भागीरथ पुत्र रामलाल विश्नोई सा0 भागसर डाबला को विवादित रकबा चक 3 एम एस डी का मु0न0 151/332 की 24 बीघा व मु0नं0 151/331 की 24–00 कुल 48 बीघा जो पूर्व में 28–4–72 द्वारा आवंटन की गई का खातेदार घोषित किया गया है को धारा 11/14 कोलो0 एक्ट के तहत तथ्य छुपा कर किया जाना प्रमाणित होने पर खारिज किया जाता है तथा रकबा बहक सरकार रिज्यूम करने के आदेश दिये जाते हैं।''

3. उक्त आदेश के खिलाफ राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपील पेश हुई, जिसमें विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने विवेचन में यह स्पष्ट किया कि राजस्थान उपनिवेशन नियम, 1954 के तहत एक व्यक्ति 25 बीघा पेरीनल और 50 बीघा नॉन–पेरीनल भूमि आवंटित करवा सकता है, जिसमें 3 बीघा बारानी भूमि के बराबर एक बीघा पेरीनल भूमि मानी गई है। मद संख्या–9 में उनके द्वारा अपीलार्थी के पास वर्णित कुल भूमि नहरी व बारानी को पेरीनल व नॉन–पेरीनल में परिवर्तित करते हुए यह स्पष्ट किया कि अपीलार्थी के पास कुल 26.14 बीघा नहरी भूमि के बराबर भूमि होना पाया गया है। उसके पिता के पास 30 बीघा नहरी भूमि बनती है, जिसमें 5 हक हैं और अपीलार्थी का हक 1/5, जो कि लगभग 6 बीघा बनता है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास कुल 32.14 बीघा के बराबर नहरी भूमि बनती है। अपीलार्थी को रा.का.अधि. की धारा 15–एएए के तहत 46 बीघा बारानी भूमि और 2 बीघा नहरी भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये थे, जो कि नहरी में परिवर्तित करने पर 18 बीघा भूमि बनती है। इस प्रकार अपीलार्थी के पास कुल 50.14 बीघा नहरी भूमि बनती है, जो कि सीलिंग सीमा 56 बीघा के अन्दर है और इस आधार पर यह मानते हुए कि अपीलार्थी ने किसी तथ्य को छिपाकर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किये हैं; अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आवंटन निरस्त किये जाने का आदेश दिनांक 19.01.2004 को अपास्त किया गया।

4. हस्तगत द्वितीय अपील में विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा भूमि के बारानी से पेरीनल/नॉन–पेरीनल में रूपांतरण के सम्बन्ध में प्रथम अपील में आधार लिये गये तार्किक निष्कर्षण का कोई तथ्यात्मक या विधिक खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उनके द्वारा अपनी अपील के मद संख्या 4 व 5 में पुनः उन्हीं तथ्यों का आक्षेप लिया गया है, जिनके रहते हुए भी गैर–अपीलार्थी भागीरथ की प्रथम अपील, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा स्वीकार की गई थी। अर्थात् तथ्यात्मक आधारों पर इस प्रकरण में अपील का मीमो या अपीलार्थी के तर्क यह प्रकट कर पाने में असफल रहे हैं कि किन तथ्यात्मक एवं विधिक आधारों पर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी का आदेश दिनांक 22.02.2006 अपास्त किये जाने योग्य है।

5. इसके अतिरिक्त गैर–अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायनिर्णय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय [1995 (2) RBJ 780] जो कि इस प्रकरण में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है और यह कहता है कि खातेदारी अधिकारों का दाय रा.का.अधि. के तहत होता है और भू–राजस्व अधिनियम के नियम 1970 की धारा 14(4) के अनुसार आवंटी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बगैर उसे किये गये आवंटन एवं ऐसे काश्तकारी अधिकारों को निरस्त नहीं किया जा सकता। हालांकि हस्तगत प्रकरण में भू–राजस्व नियम 1970 का मामला नहीं है, लेकिन वैधानिक प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि धारा 15–एएए रा.का.अधि. के तहत प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को कॉलोनोइजेशन एक्ट के तहत निरस्त किया जा सकता है अथवा नहीं? उपरोक्त न्यायनिर्णय से प्राप्त न्यायिक आलोक से यह स्पष्ट है कि खातेदारी अधिकार वस्तुतः सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार है या यों कहें कि सम्पत्ति से जुड़ा हुआ एक अधिकारों का समूह है, जिसका आधार राज्य को देय लगान के परिप्रेक्ष्य में होता है। अतः जिस अधिनियम के तहत ऐसे अधिकार ख्यापित किये जाते हैं या प्रदान किये जाते हैं, उससे इतर किसी अधिनियम के तहत ऐसे अधिकारों का हरण या निरस्तीकरण किया जाना उक्त न्यायनिर्णय के आलोक में विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता।

6. अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के अनुक्रम में यह न्यायालय विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.02.2006 में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाता है तथा अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

–: आदेश :–

उपरोक्त समग्र विवेचन, उभयपक्षों के तर्क, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधिक प्रावधानों एवं उद्धरित न्यायनिर्णयों के आलोक में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 22.02.2006 की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सानुज कुलश्रेष्ठ)
सदस्य